न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 2004 / 6084 / नागौर

1. अमराराम पुत्र स्व. श्री नारायणराम
2. पेहपु देवी)
3. कुनणी देवी)
4. तीजु देवी)
5. धन्नी देवी) पुत्रियां स्व. श्री नारायणराम।
6. सोनी देवी पत्नि स्व. श्री नारायणराम

– समस्त जाटि जाट, निवासीगण–खानड़ी, तहसील डीडवाना जिला नागौर ।

...अपीलाण्ट्स

बनाम

1. हरदेवाराम पुत्र श्री बागाराम
2. मेवाराम)
3. रामेश्वर)
4. मांगूराम)
5. गोपीराम) पुत्रगण श्री उदाराम
6. बिरमाराम पुत्र श्री नारायणराम
7. रूपाराम पुत्र श्री उदाराम
8. भंवराराम पुत्र श्री नारायणराम

– समस्त जाति जाट, निवासीगण – खानडी, तहसील–डीडवाना जिला नागौर।

....रेस्पोण्डेण्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित :–

1. श्री दुनीचन्द अभिभाषक अपीलाण्ट्स की ओर से ।
2. श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोण्डेण्ट की ओर से ।

.....

निर्णय **दिनांक 1.5.2019**

द्वारा – श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे 1955 के अधिनियम से सम्बोधित किया जाएगा) राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या 169 / 2002 में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 हरदेवाराम ने सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया था कि वह तथा मृतक प्रतिवादी नारायणराम सगे भाई हैं । ग्राम खानड़ी के खसरा नंबर 218

रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 216 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 217 रकबा 1 बिस्वा उनके पिता की खातेदारी की भूमि है जिनमें दोनों भाईयों का बराबर–बराबर हिस्सा एवं कब्जा है । इन दोनों के पिता भूराराम के निधन के बाद वादग्रस्त आराजी अकेले प्रतिवादी नारायण के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई थी तथा उक्त राजस्व रेकार्ड की गलती का नाजायज फायदा उठाते हुए इस भूमि में भूराराम के 1/8 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा से प्रतिवादी वादी को बेदखल करने पर आमादा है । अतः निवेदन किया गया कि उक्त भूमि में वादी का आधा हिस्सा होने बाबत घोषणा पारित की जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई व्यादेश से पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करे । प्रतिवादी नारायण ने जवाबदावा पेश कर इस तथ्य से इंकारी की थी कि वादी उसका सगा भाई है । बल्कि वादी की माता जड़ाव भूराराम की मृत्यु के बाद उदाराम के व उसके बाद बागाराम के नाता चली गई थी । इस प्रकार वादी हरदेवाराम, बागाराम का पुत्र है । हरदेवाराम का जन्म तो भूराराम की मृत्यु के 8 वर्ष बाद हुआ था। वादग्रस्त आराजी शुरू से प्रतिवादी के कब्जा काश्त में रही है । इससे पूर्व भी वादी की माता व प्रतिवादी के बीच मुकदमेबाजी चली थी, जिसमें राजीनामे के द्वारा 15 बीघा जमीन वादी को गांववालों की समझाईश करने पर दी गई थी । इसलिये अब वादी और कोई भूमि प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः वाद खारिज करने का निवेदन किया था । विचारण न्यायालय ने बाद साक्ष्य वादी का वाद खारिज कर दिया था, इससे असंतुष्ट होकर वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की जिसे दिनांक 16.12.2004 को पारित निर्णय व डिक्री के द्वारा स्वीकार किया गया था तथा वादी को ग्राम सानड़ी के खसरा नंबर 218 रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा में नारायणराम के साथ 1/8 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया था । अतः अब प्रतिवादी नारायणराम के वारिसान इस द्वितीय अपील में आये हैं ।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की दलील है कि साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि वादी व प्रतिवादी सगे भाई थे । वादी तो बागाराम का पुत्र है तथा भूराराम की मृत्यु के 7–8 वर्ष बाद पैदा हुआ था । यह भी साबित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक थी । पक्षकारान के मध्य में जो पूर्व में मुकदमेबाजी चली थी वह सभी प्रकरण नारायणराम के पक्ष में निर्णित हुए थे । केवल एक मुकदमा गांववालों की समझाईश के कारण राजीनामा से तय हुआ था, जिसमें 15 बीघा भूमि वादी को दी गई थी । इसलिये अब वादी नया वाद पेश नहीं कर सकता है । विवादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट्स की काश्त है, उनकी रिहायशी ढाणी में कुंआ आदि बने हुए हैं । वादी ना तो इस भूमि का खातेदार है और ना ही काश्तकार है । इस सबके बावजूद प्रथम अपीलीय न्यायालय ने

वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री करके सारवान त्रुटि की है। इसके अलावा प्रथम अपील के लंबनकाल में पेश हुए जिन दस्तावेजात को लेकर प्रथम अपीलीय न्यायालय प्रभावित हुई थी, वह दस्तावेजात विचारण न्यायालय में तो पेश ही नहीं हुए थे तथा वादी ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन पत्र के जरिये वह दस्तावेजात रेकार्ड पर पेश किये थे । इनके खण्डन का कोई अवसर अपीलाण्ट्स को नहीं मिला । केवल मात्र दस्तावेजात को देखकर ही विचारण न्यायालय के निर्णय को पलट दिया गया है। जबकि वह दस्तावेजात विधिअनुसार साबित नहीं हुए हैं । वैसे भी 1955 के अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार घोषणा व स्थाई व्यादेश का वाद केवल सहायक कलेक्टर सुन सकता है । बल्कि इस केस में तो सहायक कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद को जिला कलेक्टर ने अपर जिला कलेक्टर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था इसलिये अपर जिला कलेक्टर द्वारा किया गया विचारण दूषित है तथा उसके द्वारा की गई ट्रायल के आधार पर जो डिक्री पारित हुई है वह राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित की है । विद्वान अधिवक्ता की यह भी दलील है कि प्रतिवादी नारायणराम का दिनांक 22.08.03 को प्रथम अपील के लंबन काल में निधन हो गया था तथा उसके वारिसान को अभिलेख पर लाए बगैर प्रथम अपील उसके विरूद्ध निर्णीत कर दी गई थी इसलिये भी प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दूषित है । अतः निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे ।

7. विद्वान अधिवक्ता वादी/रेस्पोण्डेण्ट ने उक्त दलीलों का यह कहते हुए विरोध किया है कि नारायणराम के वारिसान को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेकार्ड पर ले लिया था किंतु लिपिकीय त्रुटि से निर्णय व डिक्री में वारिसान के नाम का अंकन होने से रह गया था । उनकी यह भी दलील है कि सहायक कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय से अपर जिला कलेक्टर डीडवाना के न्यायालय मे प्रकरण अंतरित होने के बाद मूल वाद लंबे समय तक चला था, किंतु वहां तथा प्रथम अपील के दौरान प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधी कोई आपत्ति नहीं उठाई । इस द्वितीय अपील के मीमो में भी ऐसी कोई आपत्ति दर्ज नहीं है । अतः इस स्टेज पर ऐसी आपत्ति का कोई महत्व नहीं है । दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के यह सम्वर्ती निष्कर्ष है कि हरदेवाराम व नारायणराम दोनों सगे भाई थे । विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि नहीं मानकर वाद को खारिज किया था । वादी रेस्पोण्डेण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपियां पेश कर इस तथ्य को साबित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक संपत्ति है इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी का वाद

आंशिक रूप से डिक्री करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील खारिज की जावे ।

8. उक्त तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावलियों का अवलोकन किया गया । दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के इस बाबत समवर्ती निष्कर्ष है कि वादी हरदेवाराम व प्रतिवादी नारायणराम सगे भाई थे । विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी को पैतृक होना नहीं माना था जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेजात को आधार बनाकर वादग्रस्त आराजी को पैतृक भूमि की संज्ञा दी है। विधि इस बारे में अत्यंत स्पष्ट है कि जब प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश की जाती है तो उसे खंडित करने का अवसर विरोधी पक्षकार को दिया जाना चाहिये तथा उन दस्तावेजात को साबित करने के लिये भी पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध होनी चाहिये । मौजूदा केस में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इन निष्कर्षों को कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है, केवल मात्र अतिरिक्त साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर पलट दिया है जबकि प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को ना तो खंडन में दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और ना ही उन दस्तावेजात को औपचारिक रूप से प्रमाणित करने के लिये वादी रेस्पोण्डेण्ट से कोई अपेक्षा की गई थी । इसलिये विद्वान अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करके अवैधानिकता की है ।यह अपील इसी आधार पर काबिले स्वीकार है तथा प्रकरण विधि अनुसार पुनः निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

9. चूंकि अपील में यह ऐतराज भी लिया गया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर को वाद का श्रवणाधिकार नहीं था । इसलिये आइंदा इस प्रकरण में इस विषय बाबत कोई विधिक पैचीदगी उत्पन्न नहीं हो, यह प्रकरण सहायक कलेक्टर, डीडवाना को रिमाण्उ किया जाना सही रहेगा ।

10. लिहाजा यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.12.2004 को अपास्त किया जाता है । प्रकरण विद्वान सहायक कलेक्टर, डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर वाद का पुनः नये सिरे से विधि अनुसार आज से एक वर्ष के भीतर निस्तारण करे ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष